F.No. 35020/Admin/2026/Misc./CSU/291

Central Sanskrit University

56-57 Institutional Area,
Janakpuri, New Delhi – 110058

OFFICE ORDER 61

Date: 22/05/2026

In view of the appeal made by the Hon'ble Prime Minister of India for promotion of economic prudence and optimal utilization of national resources, in the larger national interest, all Officers/Officials/Employees of the University are hereby directed to observe the following measures in relation to official functioning and administrative activities of the University:

1. Fuel and Energy Conservation

- Official travel shall be minimized to the extent possible.
- Online meetings, video conferencing and digital modes of communication shall be preferred over physical travel for official purposes.
- Pool vehicles/shared transport/Public transport/ e-vehicles shall be encouraged during official visits, institutional activities and daily commute.
- • No conferences, seminars, workshops, training programmes or events involving large gatherings and participation of persons travelling from outstation shall be organized till further orders. However, in cases of unavoidable academic or administrative importance, prior approval of the Hon'ble Vice-Chancellor shall be obtained before आयोजन/organization of such events.
- University units shall promote energy-efficient practices and optimum utilization of electricity and fuel resources.

2. Promotion of Digital Administration

- Maximum use of e-Office and virtual coordination shall be ensured by all sections/branches/campuses.
- Inter-campus meetings/seminars/events should preferably be conducted through online platforms wherever feasible.

3. Economy and Austerity Measures

- All Departments/Campuses/Centres shall exercise utmost financial prudence in procurement, official expenditure and utilization of institutional resources.
- Purchase of imported items for official purposes shall be avoided where suitable indigenous alternatives are available in accordance with Government of India policies promoting *Atmanirbhar Bharat*.

4. Compliance
All Heads shall ensure strict compliance with the above instructions in official matters and disseminate the same among all concerned.

All the above measures are issued in the spirit of the appeal and guidelines of the Hon'ble Prime Minister of India and shall be observed by all concerned as a collective institutional contribution towards national requirements and larger public interest during the present situation.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Prof. R.G. Murali Krishna
(Registrar I/c)

Copy to:
1. PS to Vice-Chancellor for information to Vice Chancellor
2. All Directors of CSU Campuses/ Centres
3. All Departments/Sections, CSU, Delhi
4. All Principals/Directors of Adarsh Sanskrit Mahavidhyalayas/ Shodh Sansthans
5. Deputy Secretary (L), Dept. of Higher Education, MoE, Kartavya Bhawan New Delhi
6. Project officer for uploading on the website
7. Guard File/Office Copy

F.No. 35020/Admin/2026/Misc./CSU / 290

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

56-57, सांस्थानिक क्षेत्र,
जनकपुरी, नई दिल्ली – 110058

कार्यालय आदेश 60

दिनांक - 22/05/2026

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक मितव्ययिता तथा राष्ट्रीय संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को बढ़ावा देने हेतु किए गए आह्वान के दृष्टिगत एवं व्यापक राष्ट्रीय हित में, विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण को विश्वविद्यालय के शासकीय कार्यों एवं प्रशासनिक गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित उपायों का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जाता है:

1. ईंधन एवं ऊर्जा संरक्षण

- शासकीय यात्राओं को यथासंभव न्यूनतम रखा जाए।
- शासकीय कार्यों हेतु भौतिक यात्राओं के स्थान पर ऑनलाइन बैठकें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा डिजिटल संचार माध्यमों को प्राथमिकता दी जाए।
- शासकीय भ्रमण, संस्थागत गतिविधियों एवं दैनिक आवागमन के दौरान साझा परिवहन/सार्वजनिक परिवहन/ई-वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
- अगले आदेश तक बाह्य स्थानों से आने वाले प्रतिभागियों की बड़ी संख्या वाली संगोष्ठियों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा अन्य आयोजनों का आयोजन न किया जाए। तथापि, यदि कोई कार्यक्रम शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक दृष्टि से अपरिहार्य हो, तो उसके आयोजन से पूर्व माननीय कुलपति महोदय की पूर्वानुमति प्राप्त की जाए।
- विश्वविद्यालय की समस्त इकाइयाँ ऊर्जा-कुशल कार्यप्रणालियों तथा विद्युत एवं ईंधन संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को बढ़ावा दें।

2. डिजिटल प्रशासन को प्रोत्साहन

- समस्त अनुभागों/शाखाओं/परिसरों द्वारा ई-ऑफिस तथा वर्चुअल समन्वय का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
- अंतर्परिसरीय बैठकों/सेमिनारों/कार्यक्रमों का आयोजन यथासंभव ऑनलाइन माध्यमों से किया जाए।

3. मितव्ययिता एवं व्यय-संयम उपाय

- समस्त विभाग/परिसर/केन्द्र क्रय, शासकीय व्यय एवं संस्थागत संसाधनों के उपयोग में उच्चतम वित्तीय सावधानी एवं मितव्ययिता का पालन करें।
- आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करने संबंधी भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप, जहाँ उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हों वहाँ शासकीय प्रयोजनों हेतु आयातित वस्तुओं की खरीद से परहेज किया जाए।

4. अनुपालन

सभी विभागाध्यक्ष/प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त निर्देशों का शासकीय कार्यों में कठोरता से पालन किया जाए तथा संबंधित सभी व्यक्तियों तक इन निर्देशों का प्रसार किया जाए।

उपर्युक्त सभी उपाय भारत के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान एवं दिशा-निर्देशों की भावना के अनुरूप जारी किए जा रहे हैं तथा वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रीय आवश्यकताओं एवं व्यापक जनहित की पूर्ति हेतु संस्थागत सामूहिक योगदान के रूप में सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा इनका पालन किया जाएगा।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

(प्रो. आर. जी. मुरली कृष्ण)
कुलसचिव प्रभारी

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, कुलपति महोदय को सूचनार्थ
2. निदेशक, के. सं. वि. समस्त परिसर/केन्द्र
3. समस्त विभाग/अनुभाग, के.सं.वि.
4. प्राचार्य/निदेशक समस्त आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान
5. उप सचिव (भा.), उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, कर्त्तव्य भवन
6. परियोजना अधिकारी, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. गार्ड फाइल/कार्यालय प्रति